सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 93 राँची, सोमवार

12 फाल्गुन 1935 (श०)

3 मार्च , 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

28 फरवरी, 2014

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-10903, दिनांक 07 दिसम्बर, 2007
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-10483, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या 738, दिनांक 8 फरवरी, 2008

संख्या-5/आरोप-01-435/2014 का.- 2129-- श्रीमती नमिता नलिनी मिंज (बाखला), झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 776/03 गृह जिला- राँची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी के विरूद्ध इनके प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया, गुमला के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-10903, दिनांक 07 दिसम्बर, 2007 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्राप्त है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप लगाये गये है:-

1. सरकारी राशि का गबन :- श्रीमती मिंज (बाखला) के पदस्थापन काल दिनांक 20 अप्रैल, 1999 से 22 जनवरी, 2002 के रोकड़ पंजियों की जाँच जिला लेखा पदाधिकारी द्वारा किये जाने के पश्चात् यह पाया गया कि दिनांक 31 मार्च, 2002 को समान्य रोकड़ पंजी के अनुसार सभी सहायक रोकड़ पंजियों के अंतिम शेष का योग 1,26,82,643=35 (एक करोड़ छब्बीस लाख बेरासी हजार छः सौ तैतालीस रूपये एवं पैंतीस पैसे) होना चाहिए था, जबकि विभिन्न बैंक खातों, अभिश्रवों, अग्रिम एवं पूर्व नाजिर द्वारा गबन की राशि को जोड़कर अंतशेष की राशि मात्र 1,11,09,757=28 (एक करोड़ ग्यारह लाख नौ हजार सात सौ संतावन रूपये अट्ठाईस पैसे) ही होता है। इससे स्पष्ट होता है कि बैंक खाते में 15,72,886=07 (पन्द्रह लाख बहत्तर हजार आठ सौ छियासी रूपये एवं सात पैसे) की राशि रोकड़पुस्त में दर्ज राशि से कम है। चूँकि उक्त राशि का श्रीमती मिंज (बाखला) के कार्यकाल में खर्च का कोई लेखा-जोखा नहीं मिलता, इसलिए इस राशि के गबन की पुष्टि स्वयं हो जाती है।

2. सरकारी राशि का दुरूपयोग:- (क) विभागीय वाहन संख्या SRB 398 की मरम्मति पर दिनांक 7 जनवरी, 2002 को 75027/-(पचहत्तर हजार सत्ताईस) रूपये का व्यय किया गया, जिसमें से 70242/-(सत्तर हजार दो सौ बयालीस) रूपये हम्बर ऑटो मोबाइल इंजिनीयरिंग वर्क्स, राँची को तथा 4785/-(चार हजार सात सौ पचासी) रूपये इस्टर्न एस्पार्क्स, राँची को भुगतान किया गया। साथ ही, दिनांक 18 मई, 2001 को 3589/-(तीन हजार पाँच सौ नवासी) रूपये में बैटरी का क्रय किया गया। लेकिन इतनी बड़ी मरम्मति पूर्व न तो मोटरयान निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया और न मरम्मति के पश्चात् फिटनेस सर्टिफिकेट ही प्राप्त किया गया। इसके अलावा इस मरम्मति का न तो किसी गैराज से प्राक्कलन प्राप्त किया गया, न टेंडर निकाला गया और न कोटेशन ही प्राप्त किया गया। यह भी प्रतिवेदित है कि वाहन मरम्मति अवधि में श्रीमती मिंज (बाखला) कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थीं। इन सबों से यही संकेत मिलता है कि वास्तव में वाहन मरम्मति कराई ही नहीं गई और पूरी राशि का अभिश्रव पारित कर उसका गबन कर लिया गया।

(ख) आरोपी पदाधिकारी ने सरकारी कार्य हेतु निजी वाहनों को भाड़े पर रखकर परिवहन आयुक्त द्वारा स्वीकृत दर से कई गुना अधिक दर पर भुगतान किया।

3. सरकारी वाहन का दुरूपयोग:- श्रीमती मिंज (बाखला) द्वारा अपने कार्यकाल में भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल का क्रय किया गया तथा इसके लिए 46,357=15 (छियालीस हजार

तीन सौ संत्तावन रूपये पन्द्रह पैसे) का भुगतान किया गया, लेकिन सरकारी कार्य हेतु वाहन के उपयोग की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि अपने कार्यकाल में उनके द्वारा वाहन का लाग बुक संधारित किए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस प्रकार या तो उनके द्वारा वाहन का उपयोग निजी कार्य के लिए किया गया या फिर ईंधन क्रय के नाम पर इतनी बड़ी राशि का भुगतान दिखाकर गबन कर लिया गया।

4. रोकड़-पंजी के संधारण में वित्तीय अनियमितता:- (क) आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में दिनांक 7 नवम्बर, 2001 से 22 जनवरी, 2002 तक की रोकड़ पंजियों पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। (ख) पदस्थापन अवधि में रोकड़ शेष का सत्यापन नहीं किया गया, जो नियमानुसार किया जाना चाहिए था। (ग) प्रत्येक माह में लगभग एक लाख रूपये का संव्यवहार नगद राशि के रूप में दिखाया गया।

5. मुख्यालय से अनधिकृत रूप से बाहर रहना:- यद्यपि आरोपी पदाधिकारी श्रीमती मिंज (बाखला) का मुख्यालय बसिया प्रखंड निर्धारित था, तथापि अपने पति का पदस्थापन राँची हो जाने वे अपने पति तथा बच्चों के साथ राँची में रहने लगीं तथा इसके लिए अपने पत्रांक-427 (पप), दिनांक 23 अगस्त, 2001 द्वारा उपायुक्त, गुमला से अनुमति भी माँगी। जबकि बिहार (झारखण्ड) सेवा संहिता के नियम-20 के तहत् मुख्यालय निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को है।

6. अनधिकृत अनुपस्थिति:- श्रीमती मिंज (बाखला) ने श्रीराम मेडिकल फाउन्डेशन, चेन्नई में अपने पति का ईलाज कराने के लिए जाने हेतु 20 अक्टूबर, 2001 से 31 अक्टूबर, 2001 तक कुल पाँच दिनों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति का आवेदन समर्पित किया और बिना छुट्टी स्वीकृत कराये 18 अक्टूबर, 2001 से लगातार प्रभार सौंपने की तिथि दिनांक 22 जनवरी, 2002 तक अपने कार्य से अनुपस्थित रहीं। इस प्रकार इस दौरान वे न केवल अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहीं बल्कि दुर्गापूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु निर्गत आदेश ज्ञापांक-2163/D.C. दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 का अनुपालन भी नहीं किया।

7. आदेश की अवहेलना एवं पद का दुरूपयोग:- श्रीमती मिंज (बाखला) के विरूद्ध समय-समय पर निर्गत सरकारी अनुदेषों एवं नियमों की अवहेलना के साथ-साथ नियमों की अनदेखी कर अपने पद के नाजायज दुरूपयोग का आरोप प्रतिवेदित है। एक सरकारी सेवक के रूप में उनका ऐसा आचरण अशोभनीय है।

उक्त आरापों के लिए विभागीय संकल्प संख्या- 738, दिनांक 8 फरवरी, 2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी ने

अपने पत्रांक- 129, दिनांक 19 जुलाई, 2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन-सह-मन्तव्य समर्पित किया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

समीक्षोपरांत, उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए चार वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ। तद्नुरूप, विभागीय पत्रांक-10483, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 द्वारा श्रीमती मिंज(बाखला) से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्रीमती मिंज (बाखला) द्वारा अपने पत्र दिनांक-21 नवम्बर, 2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। इसमें उन्होंने कोई नयी बात न कहकर विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान अपने बचाव बयान में कही गयी बातों को ही दुहराया है। उन्होंने विभाग के समक्ष किसी नए तथ्य को संज्ञान में नहीं लाया है, जिसके आलोक में प्रस्तावित दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके।

श्रीमती मिंज (बाखला) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी का मंतव्य सहित प्रतिवेदन तथा श्रीमती मिंज (बाखला) द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्रीमती मिंज (बाखला) के विरूद्ध प्रमाणित उक्त आरोपों के लिए इनकी चार वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड इनपर अधिरोपित किया जाता है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती नमिता नलिनी मिंज (बाखला), कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी एवं अन्य संबंधितों को भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

यतीन्द्र प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण)93—50 ।